

कार्यालय उप संचालक रवाना जिला धार (मंत्र)

कृषक नामांकनी विमानपथक ताराधिकृत प्रश्न क्रमांक-329 की टपक सिगाई योजना शिक्षकत्वर फल एवं औषधि हेतु अनुदान विवरित एवं मापदण्ड की जानकारी परिशिष्ट - अ

नाम मर	2013-14				2014-15				2015-16 प्रश्न दिनांक तक				योग अनुदान राशि (लाख में)	अनुदान वितरण का मापदण्ड
	आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रकरण संख्या	रकबा है में	अनुदान पत्रों (लाख में)	आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रकरण संख्या	रकबा है में	अनुदान विवरित राशि (लाख में)	आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रकरण संख्या	रकबा है में	अनुदान विवरित राशि (लाख में)		
टपक सिगाई	2103	2103	2953.6	1824.74	172	172	219	0.000	822	415	1187.2	400.588	2225.328	योजना के नियमानुसार सामान्य लघु/सिमांत तथा अजला/अजा वर्ग के बड़े कृषको को 70 प्रतिशत तथा अजला/अजा वर्ग के लघु/सिमांत कृषको को 80 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु वर्तमान में धार जिला डी.पी.ए. अन्तर्गत होने से सभी वर्गों के बड़े कृषको को 65 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के लघु/सीमांत को 70 प्रतिशत तथा अजला/अजा वर्ग के लघु/सीमांत कृषको को 80 प्रतिशत प्रावधान है।
टिशूकत्वर फल														
उद्योगिकी निवेशन (केला)	0	0	0	0.00	16	16	15.5	5.812	0	0	0	0.000	5.812	योजना के नियमानुसार टिशूकत्वर फल में लागत अधिकतम 1.20 लाख/हेक्टेयर लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 60000/- रुपये 75:25 के अनुपात में दो किस्तों में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
राज्य पोषित योजना (केला)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.000	43	43	18.75	36.070	36.070	योजना के नियमानुसार अन्नार क्षेत्रविस्तार फल में कुल प्रति हेक्टेयर लागत 1.20 का 25 प्रतिशत या अधिकतम 30000/- रुपये 60:20:20 के अनुपात में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
राज्य पोषित योजना (अन्नार)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.000	197	197	127.75	22.995	22.995	योजना के नियमानुसार अन्नार क्षेत्रविस्तार फल में कुल प्रति हेक्टेयर लागत 1.08 का 50 प्रतिशत या अधिकतम 54000/- रुपये 45:28:28 के अनुपात में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अन्नार)	44	44	50	28.00	131	131	150	56.000	102	102	115	29.312	113.312	
औषधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000	

अनुमानित अधिकारी
महेश प्रदेश पासन
Addl.D.H.(A.K.)

उप संचालक रवाना
जिला धार (मंत्र)